[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 18/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ).-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट माल को जब भारत में आयात किया जाता है तो उक्त वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 111 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की, तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम के आधिक्य में है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं.	**अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्प्रिट जिसे साधारणतः पेट्रोल के रूप में जाना जाता है	9 रु. प्रति लीटर
2.	2710	उच्च गति डीजल तेल	9 रु. प्रति लीटर

फा.सं. 334/03/2019-टीआरयू

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार